

SUB- JAIL INTRODUCTION

The Collector Daman who is also District Magistrate, of Daman District is also functioning as Ex-Officio Inspector General of Prisons for the U.T. of Daman & Diu. The following subordinate Officers are under the control of Inspector General of Prisons, Daman.

1. Office of the Superintendent of Sub- Jail, Daman.
2. Office of the Superintendent of Sub-Jail, Diu.

Except two Sub-Jails, one each in Daman & Diu, there is no other kind of Jails. The capacity of these Sub Jails is given below:-

1. Sub – Jail, Daman	Male : 60	Female : 20
2. Sub – Jail, Diu	Male : 60	Female : 20

The Inspector General of Prisons, is the highest functionary in hierarchy of the Jail Administration. The Sub-Jail, Daman & Diu are manned by ex-officio Superintendent of Sub- Jail, Daman & Diu respectively. The Prison Administration has tuned itself towards a reformative and rehabilitative approach

OFFICES IN DAMAN & DIU OF THE INSPECTOR GENERAL OF PRISONS, DAMAN

DAMAN

1. **Shri. Ramesh Varma**
Office of the Inspector General of Prisons,
Collectorate Building, at Dholar,
Moti Daman – 396 220
Phone :- 0260- 2230698
Fax (0260) 2230689

2. **Shri. H.B. Jethwa**
Office of the Superintendent of Sub – Jail Daman,
Collectorate, Building at Dholar,
Moti Daman, Daman- 396 220.
Phone : 0260 – 2230884 (Sub-Jail)
0260 – 2230861 (Mamlatdar Office)

3. **DIU**
Shri D. R. Damania
Office of the Superintendent of Sub – Jail, Diu,
DIU – 362 520
Phone : 02875 252292 (Mamlatdar office)

**I. AS PER THE GOA, DAMAN AND DIU PRISONS
(FACILITIES TO PRISONERS) RULES, 1968 WHO ARE
ENTITLED TO VISIT A PRISONER WHILE IN JAIL :**

Every prisoner on admission shall submit a list of persons who are likely to seek interview with him. This list shall be kept on record with the Asstt. Jailer detailed for conducting interviews. Interviews are granted only to near relatives, friends and legal advisor of the prisoner.

A. ON WHICH DAYS INTERVIEWS ARE GRANTED :-

Every Mondays interviews are granted to the prisoners in Sub-Jails of Daman & Diu.

B. WHAT IS THE DURATION OF INTERVIEWS :-

The duration of an interview shall normally not exceed twenty minutes except with the permission of the Asstt. Jailer who may extend the period by no more than another ten minutes.

C. WHAT IS THE SCALE OF INTERVIEW :-

An un-convicted prisoner is entitled for interview four times in a month whereas the convicted prisoner is entitled to have interview within a period of one fort night.

D. WHETHER THERE IS ANY BAR FOR GRANT OF FURLOUGH ON RETURN FROM PAROLE :-

Yes, Ordinarily furlough shall not be granted to a prisoner within a period of six months from the date of his return from parole.

E. WHEN FURLOUGH APPLICATION IS REJECTED, CAN THE PRISONER MAKE A FRESH APPLICATION FOR FURLOUGH :

A prisoner may make, if he so desires, a fresh application for furlough six Months after the rejection of his previous application.

III WHAT ^{PRIMARY} ACTION THE PRISON AUTHORITIES HAVE TO TAKE ONCE A PRISONER IS ADMITTED :-

A printed post card in Form I shall be sent at Government cost to the relatives of the prisoner admitted to the prison. – See Rule 2 of the Goa, Daman & Diu Prisons (Facilities to Prisoners) Rules, 1968.

IV HOW TO APPLY FOR AN INTERVIEW AND ON WHAT DAYS INTERVIEWS ARE NOT ALLOWED

All applications for interview with prisoners shall be addressed to the Superintendent of Sub – Jail and such applications shall be entered in order of their receipt in a Register in Form II. No interviews are to be granted on Sundays and Prison Holidays, except with the permission of the Superintendent.

V WHAT IS THE PROCEDURE TO INTERVIEW DANGEROUS PRISONERS:

In case of dangerous prisoners or prisoners who present disciplinary or Custody risks, interviews shall necessarily be granted in a room where appropriate precautionary barriers have been installed at the discretion of the Prison authorities.

II. AS PROVIDED UNDER THE PRISONS (GOA, DAMAN AND DIUFURLOUGH AND PAROLE) RULES, 1968 PRISONERS ARE ENTITLED FOR RELEASE ON FURLOUGH/PAROLE

A. WHAT IS THE PROCEDURE FOR RELEASE OF A PRISONER ON FURLOUGH/PAROLE

Where a prisoner becomes eligible under Rule 3 *ibid.*, he shall make an application (in duplicate) to the inspector General of Prisons through the Superintendent of Jail in Form "D" stating clearly the name, the full address of the place where he desires to spend the furlough, the full name of the relative willing to receive him on furlough and prepared to execute the surety bond etc. The Superintendent of Jail shall forward one copy of Form "D" to the Dy. Inspector General of Police, Daman for enquiry and report.

The Police conduct enquiry into the genuineness of the case of the prisoner and submits report. On receipt of such report, furlough/parole is Either granted or rejected within 7 days time form the receipt of Police repot.

B. WHETHER THE PRISONER HAS TO ENTER INTO BOND, SURETY BEFORE RELEASE ON FURLOUGH/PAROLE :-

A prisoner whose grounds are found to be genuine for release have to give a personal bond of required amount in Form "B" or cash security in Form "C". So also his relative has to enter into a surety bond in Form "A" for such amount as may be fixed by the sanctioning/competent authority. The prisoner is then released in Form "E".

C. WHO CAN APPLY FOR PAROLE :

A prisoner may be granted parole either on his own application or an application made by his relative or friends or legal advisor.

D. WHETHER THERE IS ANY BAR FOR GRANT OF FURLOUGH ON RETURN FROM PAROLE :-

Yes, Ordinarily furlough shall not be granted to a prisoner within a period of six months from the date of his return from parole.

E. WHEN FURLOUGH APPLICATION IS REJECTED, CAN THE PRISONER MAKE A FRESH APPLICATION FOR FURLOUGH :

A prisoner may make, if he so desires, a fresh application for furlough six Months after the rejection of his previous application.

III WHAT PRIMARY ACTION THE PRISON AUTHORITIES HAVE TO TAKE ONCE A PRISONER IS ADMITTED :-

A printed post card in Form I shall be sent at Government cost to the relatives of the prisoner admitted to the prison. – See Rule 2 of the Goa, Daman & Diu Prisons (Facilities to Prisoners) Rules, 1968.

IV HOW TO APPLY FOR AN INTERVIEW AND ON WHAT DAYS INTERVIEWS ARE NOT ALLOWED

All applications for interview with prisoners shall be addressed to the Superintendent of Sub – Jail and such applications shall be entered in order of their receipt in a Register in Form II. No interviews are to be granted on Sundays and Prison Holidays, except with the permission of the Superintendent.

V WHAT IS THE PROCEDURE TO INTERVIEW DANGEROUS PRISONERS:

In case of dangerous prisoners or prisoners who present disciplinary or Custody risks, interviews shall necessarily be granted in a room where appropriate precautionary barriers have been installed at the discretion of the Prison authorities.

VI HOW MANY PERSONS CAN BE PERMITTED TO INTERVIEW AT A TIME :-

Not more than two persons shall be permitted to be present at an interview. Provided that when a prisoner has an interview with father, mother, brother, sister, husband, wife and children or a joint interview with his friend and relatives, the number of persons permitted to interview the prisoner shall not exceed five.

VII CAN POLITICAL MATTERS BE DISCUSSED IN THE INTERVIEWS :

No political matters shall be discussed during an interview between convicted criminal prisoner or a civil prisoner with his interviewers who may be his relatives, friends or legal advisers. Such interviews may be terminated at any moment by the Asstt. Jailor present and record the orders in the Interview Register.

VIII WHAT TYPE OF PRISONER CANNOT BE GRANTED INTERVIEWS AND OTHER FACILITIES :-

A prisoner on hunger strike shall not be granted interviews and other facilities.

IX BESIDES RELATIVES, FRIENDS, LEGAL ADVISERS, AND VISITORS, WHO ELSE CAN VISIT PRISONERS AND FOR WHAT PURPOSE :-

As provided under Rule (2) of the Goa, Daman and Diu Visitors of Prisoners Rules, 1968, a post graduate research student may, with the previous permission of the Government be permitted to visit a prison for re-search purposes only but no lady student shall be permitted to do research work in men's section of the prison.

उप कारागार

परिचय

समाहर्ता, दमन जो दमन जीले के जिला मगोस्त्रते मजिस्ट्रेट भी हैं, वह संघ प्रदेश एअमन एवं दीव के लिए कारागार महानिरीक्षक के पदेन रूप में कार्यभार भी देखती हैं। निम्नलिखित अधीनस्थ अधिकारीगण कारागार महानिरीक्षक, दमन के नियंत्रण में हैं :

1. उप कारागार अधीक्षक का कार्यालय, दमन ।

2. उप कारागार अधीक्षक का कार्यालय, दिव ।

दमन में एक और दीव, कुल दो उप कारागारों को छोड़कर, किसी अन्य प्रकार का कोई कारागार नहीं हैं। इन कारागारों की क्षमता निम्नवत हैं :-

1. उप कारागार अधीक्षक का कार्यालय, दमन

पुरुष : 60

महिला : 20

2. उप कारागार अधीक्षक का कार्यालय, दिव

पुरुष : 60

महिला : 20

कारागार महानिरीक्षक कारागार प्रशासन के उत्कम आधार पर उच्चतम अधिकारी हैं। उप कारागार, दमन एवं दीव को क्रमशः पदेन अधिकारी अधीक्षक (उप - कारागार), दमन एवं दीव द्वारा प्रवेन्धीत किया जाता हैं। कारागार प्रशासन ने सुधारात्मक एवं पुनर्वास वहल के कार्य में स्वयं को समर्पित किया हैं।

दमन एवं दीव कारागार महानिरीक्षक के कार्यालय

दमन

1. श्री रमेश वर्मा

कारागार अधीक्षक का कार्यालय,

समाहर्तालय परिसर, धोलर,

मोदी दमन - 396 220.

दूरभाष - 0260 - 2230698

फेक्स (0260) 2230689.

2. श्री एच बी जेठवा

अधीक्षक (उप कारागार), दमन का कार्यालय,

समाहर्तालय परिसर, धोलर,

मोदी दमन - 396 220.

दूरभाष - 0260 2230884

फेक्स (0260) 2230861.

दीव

3. श्री डी आर दमनीया

अधीक्षक (उप कारागार), दीव का कार्यालय,

दीव - 396 220.

दूरभाष - 02875 - 252292 (मामलतदार कार्यालय)

दूरभाष: 02875 252292 (मामलतदार कार्यालय)

- I. गोवा, दमण एवं दीव कैदी (कैदियों को सुविधा) नियम, 1968 के अनुसार कारागार में कैदियों से मिलने के लिए कौन हकदार हैं:
जेल में आने वाले प्रत्येक कैदी को व्यक्तियों की सूची सौंपनी होगी जो उनसे मिल सकते हैं। इस सूची को सहायक जेलर कैदी से वार्तालाप करवाने हेतु रिकार्ड में रखेंगे। बातचीत करने की अनुमति मात्र कैदी के नजदीकी रिश्तेदारों, मित्रों और विधि सलाहकार को ही दी जायेगी।
- क. किस दिन बातचीत करने की अनुमति दी जायेगी :-
उप-कारागार, दमण एवं दीव में प्रत्येक सोमवार को बातचीत की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- ख. बातचीत की अवधि कितनी होगी:-
बातचीत की अवधि सामान्यतः बीस मिनट की होगी लेकिन इसे सहायक जेलर की अनुमति से दस मिनट की अवधि तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
- ग. बातचीत का मापदंड क्या होगा:-
गैर-सजायाफ्ता कैदी एक माह में चार बार बातचीत करने के लिए हकदार होंगे जबकि सजायाफ्ता कैदी माह में सिर्फ दो बार ही बातचीत कर सकते हैं।
- घ. बातचीत के दिन मिलने आनेवालों को अपने साथ कैदी के लिए पुस्तक, वस्त्र और खाद्य सामग्री लाने की अनुमति होगी
अनुमोदित पुस्तकों और वस्त्र सामग्रियों को मिलने आनेवाले ला सकते हैं और उन्हें इन वस्तुओं को कारागार में जमा करवाना होगा। अन्य सामग्रियाँ जैसे रूपये, खाद्य-वस्तु, फल, प्रसाधन सामग्रियाँ, सिगरेट या बीड़ी को बातचीत के दौरान कैदियों को देने की अनुमति नहीं होगी और ना ही कारागार कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
- ङ. बातचीत के दौरान कैदी और आगंतुक में किस प्रकार की बातचीत हो सकती है
बातचीत के दौरान कैदियों को घरेलु और परिवार कल्याण विषयों पर बात करने की तथा उनके सजा पाने से पहले उनके द्वारा चलाये जा रहे वैध व्यापारों को चलाने के लिए निर्देश देने संबंधी बात करने की अनुमति होगी। कैदियों को इन बातचीतों के दौरान किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर बातचीत के दौरान आपत्तिजनक विषयों पर चर्चा शुरू हुई तो बातचीत के लिए प्रभारी सहायक जेलर त्वरित रूप से इस बातचीत को रोक देंगे।
- च. किस प्राधिकारी के द्वारा बातचीत की अनुमति प्रदान की जा सकती है:-
सामान्यतः उप-कारागार अधीक्षक कारागार में बातचीत की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

छ. किसी भाषा में कैदी के द्वारा बातचीत की जानी चाहिए:-

किसी बातचीत के दौरान ऐसी भाषा में बातचीत करने की इजाजत कैदी को कतई नहीं दी जा सकती जो उपस्थित जेलर की समझ से बाहर हो और ऐसी बातचीत उपलब्ध कारागार दुभाषिये कर्मचारी की उपस्थिति में ही होनी चाहिए।

II. कैदी (गोवा, दमण एवं दीव फलों एवं परोल) नियम, 1968 के प्रावधानों के तहत फलों/परोल पर रिहाई की हकदारी

क. फलों/परोल पर किसी कैदी को रिहा करने के लिए क्या प्रक्रिया है

जहाँ कैदी नियम 3 के तहत पात्र है, वही वह कारागार महानिरीक्षक को कारागार अधीक्षक के जरिय प्रपत्र "डी" में आवेदन (दो प्रतियों में) कर सकता है जिसमें वह स्पष्ट रूप से रिश्तेदार का नाम, उसका पूर्ण पता लिखे जो फलों के समय उसे लेने आयेगा और इसके लिए जमानत बंध-पत्र आदि भी संलग्न किया गया हो। कारागार अधीक्षक प्रपत्र "डी" में एक प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, दमण को जाँच और रिपोर्ट सौंपने के लिए भेजेंगे।

पुलिस कैदी के मामले की वास्तविकता की जाँच समपत्र करके रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट प्राप्ति पर, पुलिस रिपोर्ट के प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर या तो फलों/परोल को स्वीकार किया जाये या अस्वीकार कर दिया जाये।

ख. क्या फलों/परोल पर रिहा करने से पूर्व कैदी को जमानत बंध-पत्र में शामिल किया जा सकता है:-

अगर किसी कैदी के रिहाई का आधार सही पाया जाता है तो उसे आवश्यक राशि का प्रपत्र "बी" या प्रपत्र "सी" में नकद व्यक्तिक बंध-पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही उसके रिश्तेदार को भी प्रपत्र "ए" में मंजूर/सक्षम प्राधिकार द्वारा तय की गई राशि के बंध-पत्र में शामिल करना होगा। तभी कैदी को प्रपत्र "ई" में रिहा किया जा सकता है।

ग. परोल के लिए कौन आवेदन कर सकता है:

किसी कैदी को उसके आवेदन या उसकी ओर से उसके रिश्तेदार या मित्र या विधिक परामर्शदाता के आवेदन पर परोल दिया जा सकता है।

घ. क्या परोल से लौटने पर फलों दिये जाने के लिए कोई अवरोध है:-

हाँ, सामान्यतः किसी भी कैदी को परोल से वापस लौटने के छः माह के भीतर फलों पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ई. जब फलों आवेदन निरस्त हो जाये तो क्या कोई कैदी फलों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है:

अगर कोई कैदी चाहे तो, फलों के आवेदन के निरस्त होने के छः माह के बाद फलों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

- III. कारागार में कैदी के आने के पश्चात कारागार प्राधिकार का प्राथमिक कार्य क्या है:-
कैदी के कारागार में आने के पश्चात कारागार प्राधिकारी सरकारी व्यय पर कैदी के रिश्तेदार को प्रपत्र I में मुद्रित पोस्टकार्ड भेजेगा। - गोवा, दमण एवं दीव कैदी (कैदियों को सुविधा) नियम, 1968 के नियम 2 को देखें।
- IV. बातचीत के लिए आवेदन कैसे करें और किन दिनों में बातचीत की अनुमति नहीं दी जा सकती:-
कैदी के साथ बातचीत हेतु सभी आवेदन उप-कारागार अधीक्षक को दिया जाना चाहिए और ऐसे आवेदनों को प्राप्ति क्रम में प्रपत्र II के पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर अधीक्षक की अनुमति न हो तो, रविवार और कारागार अवकाश के दिनों में बातचीत की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- V. खतरनाक कैदियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया:
खतरनाक या कैद में जोखिम पैदा करने वाले कैदियों के मामले में, कारागार प्राधिकारियों के विवेकानुसार बातचीत के कमरे में समुचित पूर्वोपाय रूकावट लगाया जाये।
- VI. एक समय में बातचीत के लिए कितने लोगों को अनुमति दी जा सकती है:
बातचीत के लिए एक समय में दो से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर कैदी अपने पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी और बच्चों या मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करना चाहता है तो एक समय में पाँच से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है।
- VII. क्या बातचीत में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है:
किसी सजा याफ्ता आपराधिक कैदी और सिविल कैदी को उसके रिश्तेदारों, मित्रों या कानूनी परामर्शदाता के साथ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की अनुमति नहीं होगी। ऐसी बातचीत को उपस्थित सहायक जेलर के द्वारा किसी भी समय रोक दिया जा सकता है और इसकी प्रविष्टि बातचीत पंजी में की जानी चाहिए।
- VIII. किस प्रकार के कैदी को बातचीत और अन्य सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती है:
भुख हड़ताल करने वाले कैदी को बातचीत या अन्य सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- IX. रिश्तेदारों, मित्रों, कानूनी परामर्शदाताओं, आगंतुकों को छोड़कर कैदी से मिलने की अनुमति किसे दी जा सकती है और किस उद्देश्य के तहत दी जा सकती है:-
गोवा, दमण एवं दीव कैदी आगंतुक नियम, 1968 के नियम (2) के तहत, किसी स्नातकोत्तर शोध छात्र को, सरकार के पर्व अनुमति के आधार पर शोध के उद्देश्य से